न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 38/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
एफबीओ मैसर्सः—श्रीजी डिपार्टमेन्टल स्टोर, नई मण्डी रोड दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—ः आदेश ः— दिनांकः— 21.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 18.03.2023 को दोपहर 11:35 बजे मैसर्स श्रीजी डिपार्टमेन्टल स्टोर, नई मण्डी रोड दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर मालिक श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर 11 कार्टून **X** 27 बोतल **X** 200 मिलीलीटर पैकिंग में पैक फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जॉच हेतु 20 मूल पैक बोतल 200 मिलीलीटर पैकिंग में पैक ग्राम फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** खरीदा। जिसकी कीमत 140 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** के एक—एक लीटर के चार नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3245 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद भाग व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 20.03.2023 को खाद्य विश्लेष[illegible] अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आ[illegible]र क[illegible] में सील कर स्वयं द्वारा दिनांक 20.03.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाया तथा [illegible] का चतुर्थ सीलबंद भाग व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा [illegible] 20.03.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:03:49 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 38 / 2023 FSSA

उक्त खाद्य पदार्थ फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./388/एक्ट/2023/410 दिनांक 30.03.2023 के अनुसार यह खाद्य पदार्थ अमानक **(SubStandard)** एवं **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./388/एक्ट/2023/410 दिनांक 30.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** के नमूने की जांच में **Test for added Sugar** की मात्रा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में तय किये गये मानको से कम पाये जाने के कारण नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है एवं उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के लेबल पर **Sodium Contents** की मात्रा अंकित नहीं किये जाने के कारण यह नमूना मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(SubStandard)** एवं **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 व 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदाथ फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** कम्पनी से पैक अवस्था में खरीदकर पैक अवस्था में ही ग्राहको को विक्रय किया जाता है। हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट इसमें नहीं की गई है। जैसा उत्पाद कम्पनी ने बनाया हमने वैसा ही ग्राहको को विक्रय किया है। कम्पनी ने उक्त खाद्य पदार्थ की खरीद का बिल हमको प्रदान नहीं किया है। भविष्य में हमारे द्वारा बिल से ही कम्पनी से खाद्य पदार्थ खरीदा जाकर ग्राहको को विक्रय किया जायेगा। भविष्य में हमारे द्वारा ऐसी गलती नहीं की जायेगी। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाये जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /388/एक्ट/2023/410 दिनांक 30.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** का नमूना अमानक **(SubStandard)** एवं **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 व 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(SubStandard)** एवं **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ फ्रुट ज्यूस ब्राण्ड ताजा मैंगो **(Fruit juice brand taaza mango)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता एफबीओ मैसर्सः—श्रीजी डिपार्टमेन्टल स्टोर, नई मण्डी रोड दौसा पर 10000/—(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.02.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:03:49 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / **FSSA/** दिनांकः— 21.02.2024

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता एफबीओ मैसर्सः—श्रीजी डिपार्टमेन्टल स्टोर, नई मण्डी रोड दौसा।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा